संख्या : 11/2020/2486(2)/छप्पन-2019-93/2018

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में विभिन्न मदों के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-602/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षकों के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 82.85 (रूपये बयासी लाख पच्चासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

राजस्व लेखा–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–114–वाहन का क्रय तथा रख-रखाव–03–नागरिक उड्डयन निदेशालय 29-अनुरक्षण	धनराशि (लाख रूपये में)
02-मजदूरी	75.00
04- यात्रा व्यय	5.00
21- छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन	2.85
कुल योग (रूपये बयासी लाख पच्चासी हजार मात्र)	82.85

2- उपर्युक्त धनराशि का पुनर्विनियोग शासन के पत्र संख्या-09/2020/2486/छप्पन-2019-93/18, दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा करा लिया गया है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 38 के राजस्व-लेखाशीर्षक-2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–114–वाहन का क्रय तथा रख-रखाव–03–नागरिक उड्डयन निदेशालय की विभिन्न मदों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-1 में इंगित मानक मद के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि इंगित लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद-42-अन्य व्यय से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

7- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव।

पृ0सं0 : 11/2020/2486(3)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोतमी नगर, लखनऊ-1,

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।

7- नियोजन अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।